भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2235
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

किशोर न्याय बोर्ड में लंबित मामले

2235. प्रो. सौगत रायः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत न्याय रिपोर्ट से यह पता चला है कि कर्मचारियों की अत्यधिक कमी के कारण देश भर में किशोर न्याय बोर्ड में 50% से अधिक मामले लंबित हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश के किशोर न्याय बोर्ड पर कोई सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन रिपॉजिटरी है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) देश भर में किशोर न्याय बोर्डों के मौजूदा रिक्त पदों को भरने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) के कार्यान्वयन लिए नोडल मंत्रालय है, जो बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 4 (1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) गठित करेगी, जो विधि का उलंघन करने वाले बच्चों से संबंधित मामलों में अपनी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेगी। इसके अलावा, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 106 के अनुसार, इस अधिनियम के

कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है और उन्हें अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 16 के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट प्रत्येक तीन माह में एक बार किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) में लंबित मामलों की समीक्षा करेंगे और जेजेबी को अपनी बैठकों की संख्या (फ्रीक्वेंसी) बढ़ाने का निर्देश देंगे या अतिरिक्त जेजेबी के गठन की सिफारिश कर सकते हैं। जेजेबी में लंबित मामलों की संख्या, लंबित मामलों की अवधि, लंबित मामलों की प्रकृति और उनके कारणों की समीक्षा प्रत्येक छह माह में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष (जो अध्यक्ष होंगे), गृह सचिव, राज्य में किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सचिव और अध्यक्ष द्वारा नामित किसी स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि शामिल होगा।

इसके अतिरिक्त, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) द्वारा ऐसे लंबित मामलों की जानकारी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में त्रैमासिक आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट, जब भी आवश्यक हो, बच्चे के हित में, जेजेबी सहित सभी संबंधित पक्षों से जानकारी मांग सकते है।

मंत्रालय जेजेबी को भेजे जाने वाले और वहां लंबित मामलों का कोई डेटाबेस (रिपॉजिटरी) नहीं रखती है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए मंत्रालय ने समय-समय पर विभिन्न दिशानिर्देश और सलाह जारी की हैं, जिनमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वैधानिक संस्थाओं में रिक्त पदों को भरना भी शामिल है। मंत्रालय किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहता है।

*****